जस्टी सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2017/वैशाख 28, 1939
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2017/VAISAKHA 28, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई , 2017

का.नि.आ. 15(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन संबंधी कतिपय नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है, का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-4 में उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार का.नि.आ. 13(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक सभी प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आपेक्षों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, छावनी माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन संबंधी निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

40/2

परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में कोई अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "माध्यस्थम समिति" से अधिनियम की धारा 327 के अधीन गठित माध्यस्थम समिति अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है।

3. **माध्यस्थम आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया.**—अधिनियम की धारा 325 के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति बोर्ड में आवेदन निम्न रूप में कर सकता है, अर्थात्:—

(i) उसके मामले के ब्यौरे और उसके दावे का आधार;

(ii) मूल माध्यस्थम करार, यदि कोई हो, जिससे या जिसके संबंध में विवाद उठा है या दस्तावेज़ या जानकारी जो संगत है या जिसका अवलम्ब लिया जा सकता है।

4. **माध्यस्थम समिति का संयोजन.**—नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड विवादास्पद मामले को निपटाने के लिए माध्यस्थम समिति की बैठक का आयोजन करेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी संगत दस्तावेज़ों और उनकी सूचना के आधार पर एक उत्तर फाइल करेगा।

5. **आवेदक को भेजा जाने वाला उत्तर.**—मुख्य कार्यपालक अधिकारी माध्यस्थम समिति के समक्ष उत्तर की एक प्रति रखेगा और उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों, यदि कोई हैं, सहित रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि या माध्यस्थम समिति द्वारा लिखित में अभिलिखित विस्तारित समय के भीतर आवेदक को भेजेगा।

6. **आवेदक द्वारा भेजे जाने वाले उत्तर का कथन.**—आवेदक समिति द्वारा भेजे गए उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियम 5 के अधीन माध्यस्थम समिति द्वारा मंजूर किए गए विस्तारित समय के भीतर एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता है।

7. **दस्तावेजों का पांच प्रतियों में होना.**—पक्षकारों द्वारा करार करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कथन, उत्तर और अन्य दस्तावेज़ तथा कागज-पत्र और सभी अनुलग्नक दस्तावेज़ पांच प्रतियों में होंगे।

8. **पक्षकारों की सुनवाई.**—माध्यस्थम समिति पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात उत्तर और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संदर्भ का विनिश्चय कर सकेगी।

9. **पक्षकारों द्वारा हाजिर होना.**—सुनवाई में कोई भी पक्षकार या तो स्वयं या अपने काउन्सेल या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने का हकदार होगा।

10. **समिति की प्रक्रिया.**—माध्यस्थम समिति के निर्देश के संबंध में इस बात के होते हुए भी कारवाई कर सकेगी कि कोई भी पक्षकार या पक्षकार माध्यस्थम समिति के किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है या रहे हैं और ऐसे किसी पक्षकार या दोनों पक्षकारों की अनुपस्थिति में, जो माध्यस्थम समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर हाजिर होने में असफल रहे हैं, निर्देश के संबंध में एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगी।

11. **अधिनिर्णय का चार मास में किया जाना.**—माध्यस्थम समिति निर्देश पर कार्यारम्भ की तारीख से चार माह के अंदर या बढ़ाए गए ऐसे समय के भीतर, जिसके लिए पक्षकार सहमत हों, अधिनिर्णय करेगी। जहां कोई अधिनिर्णय किया जाता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिनिर्णय की एक सही प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक को भेजेगा।

12. **खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना.**—निर्देश के खर्चे, यदि कोई हों, जिनके अंतर्गत प्रभार फीस और अन्य व्यय भी हैं, माध्यस्थम समिति के विवेकानुसार होंगे, जो इस बाबत निर्देश दे सकेगी कि किसी के द्वारा और किसी रीति में और किस अनुपात में ऐसे प्रभार फ़ीसें और अन्य व्यय या उनके कोई भाग वहन और संदत्त किए जाएंगे।

13. **माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों की प्रयोज्यता.**—ऐसे नियमों की बाबत जिनके संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं दिया गया है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 2(3)2015/डी (क्यू एंड सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव